न्यायालय जिला जज, फतेहपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या 141/74 सन 2015
जयराम सिंह बनाम जयनाथ सिंह

30.05.2018:

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

आवेदकगण की ओर से प्रार्थनापत्र 20क–1 मय शपथपत्र 21ग–2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद आवेदक संख्या 1 जयराम सिंह की मृत्यु दिनांक 28.10.2016 को हो गयी है जिनके पुत्रगण महीप सिंह, सत्येन्द्र सिंह, सुनील कुमार सिंह व राममोहन सिंह तथा पत्नी श्रीमती कलावती जीवित व विधिक वारिस है और मृतक की सम्पत्ति पर काबिज व दखील है जिन्हें इस मामले में बतौर वारिस प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार संशोधन की याचना की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी है। आवेदक संख्या 1 जयराम सिंह की मृत्यु हो जाने पर उसके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अत: मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थनापत्र 20क–1 स्वीकार किये जाने योग्य है। तदनुसार संशोधन प्रार्थनापत्र 20क–1 स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण आवश्यक संशोधन दिनांक 31.05.2018 तक करें। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 13.07.2018 को पेश हो।

जिला जज,
फतेहपुर।
30.05.2018